न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–52 / 20 (2020 / 00081) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–राजमल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–चांदी पत्नि मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–कन्हैयालाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कैलाशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–प्रकाशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–रोशनलाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–पुष्पादेवी पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः–09.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त आधिपत्य एंव स्वामित्व की पैतृक मौरूषी साबिक कृषि आराजियात संख्या 364 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 383 रकबा 4 बिस्वा कुल किता2 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मूल पुरूष रूपाजी के समय से चली आ रही है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। इसी तरह साबिक आराजी संख्या 1266/1 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 1285 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के शामलाती थी जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मूल पुरूष रूपाजी का 1/4 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मूल पुरूष रूपा जी थे जिनके 3 लड़के एकलिंग, रत्ता, हरलालजी थे रूपाजी की मृत्यु होने पर उक्त वर्णित भूमि उनके बड़े पुत्र रत्ता के नाम दर्ज हो गई। उक्त वादग्रस्त भूमियां रत्ता की मृत्यु के बाद मांगीलाल के नाम दर्ज हो गई व मांगीलाल की मृत्यु के बाद विपक्षीगण के नाम दर्ज हो गई [illegible] नाम भूमि दर्ज नही हो सकी परन्तु उक्त भूमियों में हरलालजी का भी रत्ताजी [illegible] हिस्सा था। प्रार्थीगण उनके पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण संयुक्त रूप से अपने [illegible] हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण [illegible] हिन्दू विधि से शासित होते है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात प्रार्थीगण संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक मौरूषी कृषि आराजियात है। प्रार्थीगण के पिता मागीलाल जी व उनकी मृत्यु के पश्चात से प्रार्थीगण वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित भूमी पर अपने हिस्से पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर उसका उपयोग उपयोग करते चले आ रहे है तहसील रायपुर में भुप्रबन्ध होने से ग्राम आशाहोली में भी भुप्रबंध हुआ जिससे प्रार्थीगण की मौरूषी साबिक कृषि आराजियात के निम्न नवीन नम्बर कायम किए गए साबिक आ.सं. 364 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नवीन नम्बर 489 रकबा 0.38 हैक्ट, आ.सं. 383 रकबा चार बिस्वा के नवीन नम्बर 509 रकबा 0.04 हैक्ट, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्ट कायम किए गए आ.सं. 1266/1 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, आ.सं 1285 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा के नवीन नम्बर 2106 रकबा 1.60 हैक्ट आ.सं. 2179 रकबा 2.00 हेक्ट, आसं. 2180 रकबा 0.27 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 3.87 हैक्ट कायम किए गए प्रमाण में जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल वादपत्र के साथ पेश की है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमियों में अपने अपने हिस्से पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसे करीब 100 वर्ष हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपने हिस्से की भूमीयों को प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने बाबत् कहा तो विपक्षीगण आजकल में कराने की बात कह कर टालते रहें। वादग्रस्त भूमियों की वर्तमान में कीमते ज्यादा बढ़ जाने से विपक्षीगण की नियत में फितूर आ गया तथा प्रार्थीगण को उनके हक एवं हिस्से की भूमियों से जबरन बेदखल करने की नियत से विपक्षीगण संपूर्ण वादग्रस्त भूमियां अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन बय बक्षीस करने पर आमादा है। ग्राम आशाहोली में नवीन खाता संख्या 676 में अकिंत कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 में विपक्षीगण के बराबर 1/2 हिस्से तथा खाता संख्या 684 में अकिंत कुल किता 3 कुल रकबा 3.87 है0 में प्रार्थीगण को विपक्षीगण के बराबर 1/4 हिस्से यानि सम्पूर्ण खातें में 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर डिकी जारी फरमाई फरमावे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु विधि विरूद्व निर्णित नामान्तकरण के आधार पर सम्पूर्ण भूमियां विपक्षीगण के नाम दर्ज हो जाने से विपक्षीगण वादग्रस्त भूमियो को रहन बय बक्षीस करने पर आमाद है यदि विपक्षीगण को नही रोका गया तो विपक्षीगण भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और भारी असुविधा होगी। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन बय बक्षीस नही करे एवं प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमियों पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवं किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। तथा विपक्षी संख्या 6 विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से की भूमियों को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस कर प्रार्थीगण उनके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.06.2020 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील में विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण ने अपने जवाब के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए अकंन किया कि उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मौरूषी नही है मूल पुरूष रूपा के समय से नही होकर हमारे पिता रत्ता जी के समय से चली आ रही है उस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण के मूल पुरूष हरलालजी थे व विपक्षीगण के मूल पुरूष रत्ताजी थे और एकलिंग जी रत्ता व हरलालजी तीनो शामिल सरीक नही रहकर अपने परिवार सहित अलग अलग निवास करते थे। विपक्षीगण के पिता के खातेदारी आराजी थी जिससे उनको विरासत में प्राप्त हुई है। रत्ताजी रूपाजी के बड़े लड़के नही होकर एकलिंगजी थे। प्रार्थीगण का इस भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है विपक्षीगण ही उक्त वर्णित भूमि पर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। उक्त भूमियां विपक्षीगण की विरासतन है और उस पर विपक्षीगण का ही कब्जा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है। वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीगण की पैतृक भूमियां नही है। काउन्टर प्रार्थना पत्र के रूप में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात रत्ताजी आत्मज रूपा जो विपक्षीगण के दादा थे उनके नाम पर तन्हा रूप से दर्ज चली आ रही है इन भूमियों पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के दादा हरलाल का कोई वास्ता या लेना देना नही है। प्रार्थीगण आये दिन नाजायज रूप से दखलदांजी करते रहते है जिससे विपक्षीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई नाजायज दंखलदाजी करेगे या वादग्रस्त भूमि से विपक्षीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तो विपक्षीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसका आंकलन नकदी में नही किया जा सकता एवं दरम्यान कई विवाद उत्पन्न होगें अतः प्रार्थीगण के विरूद्व विपक्षीगण के पक्ष में ताफैसला काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात संयुक्त शामलाती है जिसमें अन्य खातेदारो को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। प्रार्थीगण का वादपत्र पक्षकारो के अभाव में खारीज योग्य है। ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जो प्रार्थीगण के पिता या परदादा के नाम पर वादग्रस्त भूमियां दर्ज होना साबित हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुए बहक विपक्षीगण विरूद्व प्रार्थीगण ताफैसला मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा विपक्षीगण को जबरन ताकत के बल पर विधि विरूद्व तरीके से उक्त आरायिजात से बेदखल नही करे, न अन्य से करावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया वादग्रस्त भूमि का मूल पुरूष रूपा के समय से चली आ रही है एकलिंगजी रूपा के जीवनकाल में फोत हो गये है रूपा की मृत्यु के दौरान विपक्षीगण के दादा रत्ता बड़े पुत्र होने से भूमि एकले रत्ता के नाम दर्ज हो गई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मूल पुरूष रूपा के विधिक वारीस है वादग्रस्त भूमियां [illegible] को सुरक्षित किया जाना है सजरा स्वीकार किया गया है विपक्षी द्वारा जवाब [illegible] की बताई गई है जो मूल दावे में तय होगा जो दावा साक्ष्य के बाद [illegible] होगा [illegible] विपक्षी द्वारा अपने जवाब के कॉलम 9 में लिखा है कि भूमियो को रहन [illegible] जबकि विपक्षीगण हमारे द्वारा की गई तारबन्दी को हटाई जाकर थोहर बाड़ की [illegible] रहे जिसके फोटोग्राप्स पेश किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि दावा दस्तावेज के आधार पर पेश किया जाता है और जो दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है उसी को देखा जाता है भूमि रत्ता की स्वअर्जित भूमि है कब्जा विपक्षीगण का है और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राप्स में जो तारबन्दी का जो अंकन किया है जो तारबन्दी विपक्षीगण द्वारा करवायी गई है। तीनो बिन्दु खातेदार के पक्ष मे है स्थगन से जो नुकसान होगा वो विपक्षीगण को होगा विपक्षीगण खातेदार है खातेदार के विरूद्व स्थगन नही किया जा सकता है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो सजरा पेश किया गया है उसमे मूल पुरूष श्री रूपाजी को दर्शाया गया है रूपा के सबसे बड़ा लड़का एकलिंग व उससे छोटा रत्ता जो विपक्षीगण के दादा है एवं उससे छोटा हरलाल जो प्रार्थीगण के दादा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा निर्विवाद है एवं श्री रूपा के सबसे बड़े पुत्र एकलिंग की मृत्यु रूपा के जीवनकाल में होना प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कॉलम 3 में अकंन किया गया है जिसके जवाब में विपक्षीगण द्वारा कोई तथ्य अकिंत नही किया है श्री एकलिंग रूपा के जीवनकाल में फोत होने से दौराने फोत रूपा के श्री रत्ता को ही बड़े पुत्र के रूप दर्शा रखा है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को बल मिलता है। प्रार्थीगण के द्वारा इसी आरायिजात बाबत् जो दावा पेश कर रखा है वो दावा साक्ष्य के बाद ही निस्तारित होगा विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब एवं काउन्टर क्लेम के माध्यम से निवेदन किया कि विपक्षीगण भूमि विक्रय नही कर रहे है किन्तु प्रार्थीगण हमे बेदखल करने पर आमाद है इसीलिये प्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पांबद किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है किसी भी पक्ष को अपूर्णीय क्षति नही हो न्यायालय भी यही चाहता है और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के काउन्टर क्लेम एवं वर्तमान रेकार्ड अनुसार विपक्षीगण के पक्ष में प्रदर्शित होता है उक्त परिस्थिति को मध्यनजर रखते एवं दोनो पक्षो के मध्य अनावश्यक मुकदमे बाजी एवं आपस में विवाद नही हो को ध्यान में रखते हुए मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा की वादवर्णित आराजियात की मूल वाद के निर्णय तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायहित में उचित है।

आदेश

अतः उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित नवीन आराजी नम्बर 489 रकबा 0.38 हैक्ट, आराजी नम्बर 509 रकबा 0.04 हैक्ट, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्ट एवं आराजी नम्बर 2106 रकबा 1.60 हैक्ट आ.सं. 2179 रकबा 2.00 हेक्ट, आसं. 2180 रकबा 0.27 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 3.87 हैक्ट भूमि के मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण किसी प्रकार से रहन बय बक्षीस नही करें तथा उभ[illegible] यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 [illegible] मे[illegible]ारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा